रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम०/13-14/94.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 5 अप्रैल, 1994/5 चैत्र, 1916

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 5 अप्रैल, 1994

संख्या 1-30/94-वि०स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत "हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैंशन) संशोधन विधेयक,

1994 (1994 का विधेयक संख्यांक 10)" जो आज दिनांक 5 अप्रैल, 1994 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो गया है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

लक्ष्मण सिंह,
सचिव।

1994 का विधेयक संख्यांक 10

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 1994

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) संशोधन अधिनियम, 1994 है ।

धारा 3 का संशोधन।

1971 का 8

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में,—

(i) सीमान्त शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :— "वेतन और प्रतिकरात्मक भत्ता";

(ii) उप-धारा (1) में "प्रतिकरात्मक भत्ता" शब्दों से पूर्व "एक हजार पांच सौ रुपये की दर से वेतन और" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और

(iii) उप-धारा (4) में, "प्रतिकरात्मक भत्ता" शब्दों से पूर्व "वेतन और" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 4 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में—

(क) सीमान्त शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:— "यात्रा भत्ता" और

(ख) "एक सौ" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "एक सौ पचास" शब्द रखे जाएंगे;

धारा 4-ख का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 4-ख में "एक हजार छः सौ" शब्दों के स्थान पर "एक हजार नौ सौ" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 4-घ का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 4-घ की उप-धारा (1) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यदि किसी सदस्य ने, जिसके अन्तर्गत मन्त्री, उपमन्त्री, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी हैं, अग्रिम की आधी रकम प्राप्त कर ली हो और राज्य विधान सभा का सदस्य नही रह जाता है, वह, इस तथ्य को विचार में लाए बिना कि वह राज्य विधान सभा का सदस्य नहीं रहा गया है,

वह अनुज्ञेय अग्रिम की बाकी रकम को प्राप्त करने का हकदार होगा।"

धारा 5 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के प्रथम परन्तुक में "आठ सौ" शब्दों के स्थान पर "एक हजार पांच सौ" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 5-क का अन्तःस्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"5-क जल और विद्युत भत्ता —प्रत्येक सदस्य को तीन सौ रुपये प्रति मास की दर से जल और विद्युत भत्ता संदत्त किया जाएगा:

परन्तु वह सदस्य, जो किराया मुक्त आवास सुविधा का उपभोग कर रहा है जिसके संबन्ध में जल और विद्युत प्रभारों का वहन केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी निगम द्वारा किया जाता है, जल और विद्युत भत्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

धारा 6 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 6 में "बीस हजार" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "चालीस हजार" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 6-क का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 6-क में "प्रतिकरात्मक" शब्दों के स्थान पर "वेतन और प्रतिकरात्मक" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 6-ख का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 6-ख की उप-धारा (1) में "पांच सौ" शब्दों के स्थान पर "एक हजार" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 6-ग ग का अन्तःस्थापन।

11. मूल अधिनियम की धारा 6-ग के पश्चात, निम्नलिखित नई धारा 6—ग ग अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"**भूतपूर्व सदस्यों को टैलीफोन सुविधाएं**—प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य जो धारा 6-ख के उपबन्धों के अधीन पैन्शन का हकदार है, वास्तविक प्रापक की रसीद पेश करने पर, उसके स्थाई निवास के स्थान पर संस्थापित टैलीफोन के लिए उस द्वारा संदत्त किराये की रकम की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा।"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाह व्यय में तेज वृद्धि और प्रचुर खर्चे के कारण जो कि राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को जन प्रतिनिधियों के रूप में जनजीवन की विभिन्न मांगों के कारण उपगत करने पड़ते हैं, उनकी विद्यमान उपलब्धियों और सुख-सुविधाओं पर पुनर्विचार करने की निरन्तर मांग रही है। इस विषय से निपटने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ सरकार को माननीय सदस्यों और भूतपूर्व सदस्यों को समय-समय पर उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं और सुख सुविधाओं के बारे में सुझाव देने के लिए विधान सभा के नौ सदस्यों से मिल कर बनी "सदस्य सुख-सुविधा समिति" गठित की गई थी। भत्तों और अन्य सुख सुविधाओं में वृद्धि करने की सिफारिशों से युक्त उक्त समिति की रिपोर्ट 25-3-1994 को विधान सभा के पटल पर रखी गई थी। उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। उपर्युक्त सिफारिशों के अनुसरण में, विधायकों के भत्तों और सुख-सुविधाओं से सम्बन्धित अधिनियमिति का संशोधन किया जा रहा है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :
5 अप्रैल, 1994

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 से 11 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधिनियमित होने पर, राज्य की संचित निधि से प्रति वर्ष 21.0 लाख रुपये का आवर्ती खर्च अन्तर्वलित होगा ।

प्रत्यायोजित विधान सभा सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[फाईल नं0 जी0 ए0 डी0-सी(पीए)(4) 21/94]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) संशोधन विधेयक, 1994 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 10 of 1994.

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 1994

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-fifth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 1994.

Amendment of section 3.

8 of 1971

2. In section 3 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (hereinafter called the principal Act)—

(*i*) for the marginal heading, the following heading shall be substituted, namely:—

"Salary and compensatory allowance";

(*ii*) in sub-section (1), before the words "compensatory allowance", the words "salary at the rate of one thousand and five hundred rupees and" shall be inserted; and

(*iii*) in sub-section (4), before the words "compensatory allowance" the words "salary and" shall be inserted.

Amendment of section 4.

3. In section 4 of the principal Act—

(*a*) for the marginal heading, the following heading shall be substituted, namely:—

"Travelling allowance" ; and

(*b*) for the words "one hundred" wherever these occur the words "one hundred and fifty" shall be substituted;

Amendment of section 4-B.

4. In section 4-B of the principal Act, for the words "one thousand and six hundred", the words "one thousand and nine hundred" shall be substituted.

Amendment of section 4-D.

5. In section 4-D of the principal Act, in sub-section (1) the following proviso shall be added at the end, namely:—

"Provided that if a member, including a Minister, Deputy Minister, Speaker and Deputy Speaker, has received half of the amount

of advance and ceases to be the Member of the State Legislative Assembly he shall be entitled to receive the balance amount of advance admissible to him, irrespective of the fact that he has ceased to be the Member of the Legislative Assembly".

Amendment of section of 5.

6. In section 5 of the Principal Act, in first proviso to sub-section (2), for the words "eight hundred", the words "one thousand and five hundred" shall be substituted.

In section of section 5-A.

7. After section 5 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely.—

"5-*A. Water and Electricity allowance.*—There shall be paid to each member the water and electricity allowance at the rate of three hundred rupees per mensum:

Provided that a member who is availing the facility of rent free accommodation in relation to which water and electricity charges are borne by the Central or the State Government or any Corporation owned or controlled by the Central or the State Government or any local authority shall not be entitled to draw the water and electricity allowance.

Amendment of section 6.

8. In section 6 of the principal Act, for the words "twenty thousand" wherever these occur, the words "forty thousand" shall be substituted.

Amendment of section 6-A.

9. In section 6-A of the principal Act, for the opening words "The compensatory" the words "The salary and compensatory" shall be substituted.

Amendment of section 6-B.

10. In section 6-B of the principal Act, in sub-section (1) for the figure "500", the figure "1,000" shall be substituted.

Insertion of section 6-CC.

11. After section 6-C of the principal Act, the following new section 6-CC shall be inserted, namely:—

"6-CC. *Telephone facilities to ex-members.*—Every *ex*-member, who is entitled to pension under the provisions of section 6-B, shall also on the production of actual payee's receipt, be entitled to the reimbursement of amount of rent paid by him for the telephone installed at his permanent place of residence".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to sharp increase in the cost of living and the considerable expense which the Hon'ble Members of the State Assembly, as public representatives, had to incur on account of various demands of public life, there had been persistent demand for reconsideration of their existing emoluments and amenities. In order to sort out the matter a nine member Committee, *i. e.*, "Members Amenities Committee" consisting of M. L. A.'s was set up, *inter alia*, to suggest to the Government the facilities and amenities to be provided to the Hon'ble Members and *ex*-Members from time to time. The report containing the recommendations of the said Committee to increase the allowances and other amenities was laid on the Table of the House on 25th March, 1994. In order to implement the recommendations made by the said Committee, it has become necessary to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

SHIMLA :
The 5th April, 1994.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions contained in clauses 2 to 11 of the Bill, when enacted, will involve an extra recurring expenditure to the tune of Rs. 21 lac per annum out of the Consolidated Fund of the State.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Nil

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[G. A. D. File No. GAD-C (PA) (4) 21/94]

The Governor of Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 1994, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।